116

2रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED (court fee stamps)

CO 10/

समक्ष - न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प, सागर

I/निगरानी/सागर/भू०रा/2017/3169

१ - उमेश घानक आयु ४८ वर्ष पुत्र स्व०श्री परमु घानक
(हरिजन) व्यवसाय मजदूरी

२ - श्रीमति रामवती बाई आयु 70 वर्ष पुत्री मंजु
घानक (हरिजन) व्यवसाय मजदूरी
दोनों निवासी मौजा गेहूँरास बुजुर्ग जैसीनगर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) == == ~~अपीलार्थीगण~~ निगरानीकर्ता

B.O.R.
27 JUL 2017

-: विरुद्ध :-

१ - अरविन्द राव वाखले पुत्र स्व०श्री काशीनाथ राव
बाखले, निवासी लक्ष्मीपुरा वार्ड, सागर

२ - संतोष बाखले पुत्र स्व० श्री अनंत राव बाखले
निवासी मौजा इंशुखारी तह०जिला सागर

३ - रतनसिंह ठाकुर पुत्र नामालूम
निवासी गेहूँरास बुजुर्ग जैसीनगर

४ - मनमोद वल्द नंदराम आदिवासी

५ - रामकली बाई पति चेबु आदिवासी

६ - अमोल सिंह पुत्र देवीसींग आदिवासी
सभी निवासी मौजा गेहूँरास बुजुर्ग जैसीनगर
तहसील व जिला सागर (म०प्र०) == == ~~प्रति अपीलार्थीगण~~ अनावेदक

श्री सुजीत कुमार चौबे, एडवोकेट सागर द्वारा प्रस्तुत
अधीक्षक
राजस्व मंडल, सागर कैम्प, सागर (म.प्र.)

171
28/08/17

निगरानी आवेदन-पत्र
~~अपील~~ अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

निगरानीकर्तागण
~~अपीलार्थीगण~~ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक २८-अ।६ वर्ष २०१६-१७ मे पारित आदेश दिनांक ६।०६।२०१७ से परिवेदित होकर निम्न आधारों पर यह अपील माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते है -

उमेश

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 3169

उमेश धानक व अन्य विरूद्ध अरविन्द राव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 28 / अ–6 / 2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	